ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0022111

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
18.01.13	आवेदक की ओर से श्री सुरेश इन्दौरिया, एडवोकेट उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से दिनांक 05.09.2012 को आवेदक की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का विरोध इस आधार पर किया गया था कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक 22.10.2011 का अक्षरशः पालन अनावेदक की ओर से किया जा चुका है । ब्याज के साथ मीटर की राशि वापस किये जाने का कोई प्रावधान विद्युत अधिनियम में नहीं है । अतः आवेदक को यह सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है । इस बिन्दु पर आवेदक को सुना गया । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के प्रकरण क्रमांक C0089411 श्रीमती शान्ति देवी कुशवाह विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 22.10.2011 की प्रति संलग्न है । इस आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने मीटर की कीमत को ब्याज सहित वापस दिलाए जाने तथा अनावेदक द्वारा किए गए अनुचित कृत्य के लिये उपभोक्ता को हुए आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की शिकायत या अनुरोध उपभोक्ता फोरम से नहीं किया था । अतः इस बिन्दु पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था । आवेदक उपभोक्ता द्वारा वितरण लाईसेंसी के द्वारा की गई अनियमितता तथा अवैधता की शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष किये जाने पर फोरम द्वारा उक्त शिकायत का निराकरण किया जाता है, फोरम के ऐसे आदेश से असंतुष्ठ होने पर फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । इस मामले में उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत की थी, उसका निराकरण फोरम द्वारा किया जा चुका है । आवेदक उपभोक्ता ने अपने अभ्यावेदन में जो सहायता चाही है वह सहायता उसने फोरम से नहीं चाही थी । अपनी शिकायत में उसने ब्याज दिलाने या क्षतिपूर्ति दिलाने का कोई अनुरोध नहीं किया था, ऐसी स्थिति में आवेदक उपभोक्ता ने जिन बिन्दुओं पर फोरम के समक्ष शिकायत नहीं की तथा जो सहायता नहीं चाही थी उनके संबंध में विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है । आवेदक द्वारा ऐसी सहायता के लिये अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है । अतः आवेदक उपभोक्ता के अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर उसे किसी तरह से अनुतोष प्रदान किया जाना उचित तथा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, अतः आवेदक उपभोक्ता का अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है । ..... निरन्तर	

आदेश की प्रति उभयपक्ष को निशुल्क दी जाए । आदेश की प्रति फोरम को भेजी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल